A3/1

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं. RCMS 2022/14

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 05 / 2022

1. चन्द्रभान पुत्र सहीराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी सरदारपुराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । **अपीलांट**

बनाम

1. मदन लाल पुत्र श्री दुलाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी सरदारपुराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी सरदारपुराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार सादुलशहर। **रेस्पोडेन्टस**

उपस्थित :
1. **श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता अपीलार्थी।**
2. **श्री रामगोपाल स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01**

अपील बनाराजी आदेश दिनांक 25.01.2022 तहसीलदार सादुलशहर जिसके द्वारा चक 1 यू.एम.डब्ल्यू. के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 23,24 में रास्ता को चालू करवाये जाने का आदेश दिया बमुराम मनसुखिया।

आदेश **दिनांक : 29.09.2023**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, इंसाफ व रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के कारण निरस्त करने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कानून व उनके तहत बने नियमों , उपनियमों की अवहेलना कर तथा सांझा खाता के प्रत्येक सहकाश्तकार पक्षकार न बनाकर बिना नोटिस यदिये व ना ही सुनवाई का मौका दिये यन्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलना की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई चालू रास्ता की बाबत सबूत नहीं दिये है, जबकि अपीलांट द्वारा जवाब के साथ सबूत के तौर पर गिरदावरी की नकलें पेश की है जिनका हवाला आदेश में नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर उक्त रकबा में रास्ता होना माना है इस बारे में कोई विस्तृत विवेचन नहीं कर अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर आदेश देने में कानूनी गलती की है। इस कारण कानूनन व इंसाफन यह आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/2

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के महज एक साधारण प्रार्थना पत्र पर 40 सालों से इसस रकबा में रास्ता चल रहा है के तथ्य को सही मानकर बिना रास्ता के अस्तित्व के खड़ी फसल में जबरदस्ती नया रास्ता बनाकर खुलवाने का आदेश देने में कानूनी गलती की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

5. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने पास मुरब्बा नं. 26 के कौनसे किला विशेष पर कब्जा है का कोई विवरण नहीं दिया है। रेस्पोडेन्टगण के अलावा इस खाता में 8 अन्य सहकाश्तकार है उनका रकबा कौनसा है वह किस रास्ता से अपने खेत में आ–जा रहे है उनके द्वारा इन किला विशेष में रास्ता खुलवाने की कार्यवाही में सहकाश्तकारों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया तथा ना ही उनके द्वारा कोई शपथ पत्र अथवा ब्यान इस आश्य के दिये गये कि उक्त रकबा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 23,24 में 40 वर्षो से रास्ता चल रहा है जिससे साफ जाहिर है कि उक्त किलों में कभी भी रास्ताा चालू नहीं था। मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 21,22 किस काश्तकार के है उनकी साक्ष्य अथवा शपथ पत्र इत्यादि कोई भी दस्तावेज साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य सहकाश्तकारों की ओर से नहीं है जिससे साफ जाहिर है कि महज अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण रेस्पोडेन्टगण जबरन अपीलांट जो सीमान्त कृषक के रकबा में से रास्ता चालू करवाना चाहते है।

6. यह कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय में 4 वर्ष की गिरदावरी पेश की है जिस गिरदावरी में रास्ता की बाबत कोई भूमि खाली नहीं थी कोई रास्ता का अंकन नहीं था तथा पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत की गई उसमें भी मुरब्बा नम्बर 26 में किला नं. 23,24 में मूंग की फसल का हवाला दिया लेकिन इसके अलावा कोई भी तथ्य दैनिक डायरी में दर्ज नहीं है कि मौका पर रास्ता की निशानदेही अथवा रास्ता चालू हो। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 23 सालम, किला नं. 24 में 0.139 हैक्टयर रकबा इस खाता में दर्ज है। किला नम्बर 24 की बाकी 0.116 हैक्टयर रकबा देसरे खाता का है जिसके काश्तकार को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

7. यह कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 04.02.2022 तक राजीनामा के अलावा विवादास्पद मामलों में किसी भी प्रकार से अन्तिम निर्णय करने की कार्यवाही स्थगित की गई थी, लेकिन फिर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्व मण्डल के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुए खड़ी फसल में रास्ता जबरन खुलवाने के आदेश देने में कानूनी कौताही की है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.01.2022 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के स्ववयं के नाम से इनके चाचा ताया के नाम से राजस्व तहसील सादुलशहर के नाम से राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नम्बर 1 युएमडब्ल्यु के खाता संख्या 33/33 के मुरब्बा नं. 26 के किला नं.4 में 0.114 हैक्टयर, 5,6 सालम, 7 में 0.114 हैक्टयर, 15,16 सालम, 17 में 0.114 हैक्टयर, 24 में 0.114 हैक्टयर, 25 सालम, मु.नं. 42 के किला नं. 4 में 0.114 हैक्टयरश 5,6 सालम, 7 में 0.076 हैक्टयर व मुरब्बा नम्बर 43 के किला नं. 10 सालम उक्त तीनों मुरब्बा में 2.784 हैक्टयर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार पटवार माल है।

2. यह कि अपीलांट चन्द्रभान पुत्र सहीराम व शीशपाल , मोहनलाल पिसरान बद्रीराम के नाम से चक लं. 1 युएमडब्लयु के खाता सख्या 104/95 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 3 सालम, 4 में 0.139 हेक्टर, 7 में 0.139 हैक्टर, 8,13 सालम, 14 में 0.139 हैक्टयर , 19 में 0.139 हैक्टयर, 23 सालम, 24 में 0.139 हैक्टयर, मुरब्बा नं. 42 के किला नम्बर 3 सालम, 4 में 0.139 हैक्टर , 7 में 0.177 हैक्टर, 8,9 सालम कुल 2.782 हैक्टयर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार पटवार माल है।

3. यह कि चक नंम्बर 1 युएमडब्लयु के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 1,10,11,20,21 में मंजूरशुदा रास्ता है। श्रीमानजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व इनके सहकाश्तकार खातेदार चक नम्बर 1 युएमडब्लयु के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 1,10,11,20,21 में मंजूरशुदा रास्ता चालू रास्ता से होकर मुरब्बा नं. 26 के किला नम्बर 21,22,23,24 में उत्तर दिशा में 1–1 बिस्वा पूर्वजो के समय से घरूबंटवारा अपीलांण्ट व उसके सहकाश्तकार खातेदारों द्वारा रेसपोडेन्ट व इनके सहकाश्तकारों व अपीलान्ट की आराजी में आने जाने हेतू करीब 40 वर्षो से पूर्वजों के समय से रास्ता छोड़ा हुआ था तथा इसी रास्ता का रेस्पोडेन्ट व अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदार उक्त रास्ता का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तो रेस्पोडेन्ट ने माननीय तहसीलदार राजस्व सादुलशहर के समक्ष दिनांक 06.08.2021 को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को धमकिया दी जा रही है`कि अपीलान्ट अपने कब्जा काश्त की आराजी मुरब्बा नं. 26 के किला नम्बर 23 सालम व 24 में 0.139 हैक्टयर आराजी उत्तर दिशा में काफी अर्सा पूर्व करीब 40 वर्ष पूर्व से चल रहे रास्ता को अवरूद्व कर बन्द कर दूंगा और आपको अपने खेत में जाने नहीं दुंगा। श्रीमान जी अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त किला नं. 23,24 में चल रहे रास्ता को अपीलांट द्वारा बन्द कर दिया गया तो रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने का रास्ता बन्द हो जायेगा और इसके अलावा रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि में आने जाने हेतू कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है आदि रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर माननीय तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा दिनांक 06.08.2021 को हल्का पटवारी को आदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच कर खेत में जाने का कोई अन्य विकल्प न हो तो और रास्ता काफी वर्षो से चल रहा है तो पुराने चल रहे रास्ता को अवरूद्व करने से पाबन्द किया जाये ताकि काश्तकारों का सुखचार बाधित न हो।

4. यह कि प्रार्थी रेसपोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 15.08.2021 को उक्त रास्ता को चालू करवाये जाने हेतू प्रस्ताव रखा है जिसमें ग्राम सभा में विचार विमर्श कर चक नम्बर 1 युएमडब्ल्यु के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में चन्द्रभान द्वारा बन्द किये गये रास्ता को चालू करवाये जाने हेतू उच्चाधिकारीयों को प्रेषित किये जाने का प्ररतावत पारित किया है।

5. यह कि तहसीलदार राजस्व सादुलशहर के उक्त आदेश दिनांक 06.08.2021 की पालना हल्का पटवारी सरदारपुराजीवन द्वारा अपीलांट से सांठ–गांठ कर एक माह तक कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 06.09.2021 को पटवार हल्का द्वारा मौका देखकर दैनिक डायरी भरी गई व दिनांक 09.09.2021 को एक रिपोर्ट इस प्रकार तैयार की गई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/4

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कि रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि को स्वीकृत शुदा गैरमुमकिन रास्ता नहीं लगता है तथा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21,22 में उत्तर दिशा में अभी भी रास्ता चालू है तथा अप्रार्थी चन्द्रभान ने किला नम्बर 23 व 24 में 0.139 हैक्टयर में मुंग की फसल काश्त कर रखी है । मुंग की फसल में आने जाने के निशान है। चन्द्रभान द्वारा बताया गया कि सहमति से मेरी फसल में से निकलते थे अब मेरे द्वारा रेस्पोडेन्ट को मना कर दिया है आदि रिपोर्ट एक माह पश्चात् तैयार कर वास्ते उचित आदेशार्थ तहसीलदार राजस्व सादुलशहर को प्रेषित की गई लेकिन तहसीलदार ने उक्त आदेश की पालना नहीं की गई, पटवारी हल्का द्वारा भरी गई दैनिक डयारी दिनांक 06.09.2021 व रिपोर्ट दिनांक 09.09.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है।

6. यह कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 06.08.2021 व पटवारी हल्का सरदारपुराजीवन की दैनिक डायरी 06.09.2021 व रिपोर्ट दिनांक 09.09.2021 की फोटो प्रति सलंग्न कर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2021 को उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष इस आश्य का प्रार्थना पत्र पेश किया कि चक 1 युएमडब्ल्यु के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में करीब 40 वर्षो पूर्व से चालू घरूरास्ता को बन्द नही किये जाने व उसमें किसी प्रकार का अवरूद्व उत्पन्न करने से अप्रार्थी चन्द्रभान पुत्र सहीराम को तुरन्त प्रभाव से पाबन्द किया जावें तथा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में रास्ता चालू करवाया जावें जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पत्र क्रमांकःराजस्व/2021/1586 दिनांक 14.09.2021 के जरिये तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया कि यदि चालु को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बन्द कर दिया गया है तो तत्काल रास्ते को चालू करवाया जाना सुनिशिचित करें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

7. यह कि माननीय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के उक्त आदेश पत्र क्रमांकःराजस्व/2021/1586 दिनांक 14.09.2021 के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार हरीश कुमार टाक द्वारा पत्र क्रमांकःराजस्व/2021/1154 व 1155 दिनांक 22.09.2021 के जरिये गिरदावर लालगढ व पटवारी हल्का सरदारपुराजीवन को रास्ता बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बन्द कर दिया गया है तो तत्काल उक्त रास्ते को चालू करवाया जावें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

8. यह कि उक्त दिनांक 22.09.2021 से दिनांक 14.10.2021 तक गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई लेकिन दिनांक 14.10.2021 को उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के उक्त आदेश दिनांक 14.09.2021 की पालना न करके एकस रिपोर्ट इस प्रकार तैयार की गई कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21,22 में रास्ता चल रहा है। किला नं.23 व 24 में 0.139 हैक्टर में काश्तकार चन्द्रभान पुत्र सहीराम द्वारा जुताई की हुई है। पूर्व में दिनांक 06.09.2021 को किये मौका निरीक्षण में किला नम्बर 23 व 24 में 0.139 हैक्टर में मूंग की फसल काश्त की हुई है तथा खड़ी फसल में आने जाने के निशान थे। मौका पर उपस्थित चन्द्रभान द्वारा किला नं. 23 व 24 में 0.139 हैक्टर में दक्षिण दिशा में भूमि के बदले भूमि लेकर रास्ता देने की सहमति जाहिर की। मौके पर उपस्थित वादी व प्रतिवादी आपस में झगड़ा करने पर उतारू थे। जिन्हें समझाईश कर रवाना किया गया। वास्ते उचित आदेश रिपोर्ट में पेश है। गिरदावर व पटवारी की उक्त रिपोर्ट व देनिक डायरी दिनांक 14.09.2021 की फोटो कापी है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

9. यह कि गिरदावर व पटवारी द्वारा दिनांक 14.10.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट तत्कालीन के समक्ष उसी रोज प्रस्तुत कर दी गई लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट माननीय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश न की जाकर स्वयं द्वारा ही करीब 17 दिन बाद दिनांक 02.11.2021 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण चन्द्रभान को इस आशय के नोटिस जारी किये गये कि चक 1 युएम डब्ल्यु के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 के विवादित रास्ता के सम्बन्ध में दिनांक 09.11.2021 के उपस्थित होवें उक्त नोटिस की फोटो प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है जबकि माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.09.2021 के आदेश की पालना नहीं की जाकर गोलमोल रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को भेज दी तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट माननीय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी को न भेजकर स्वयं ही के कार्यालय में पत्रावली खोल कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी को नोटिस जारी कर दिया। तत्पश्चात दोनो पक्षों को सुनकर तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा अपने पत्र कमांकःराजस्व/2022/49–50–51 दिनांक 25.01.2022 को कमशः भू.अ.निरीक्षक लालगढजाटान हल्का पटवारी सरदारपुराजीवन व थानाधिकारी पुलिस थाना लालगढजाटान को आदेशित किया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के पत्र कमांक :राजस्व/1586 दिनांक 14.09.2021 की पालनानुसार चक 1 युएमडब्ल्यु के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में करीब 40 वर्ष पूर्व चल रहे रास्ते का अप्रार्थी चन्द्रभान पुत्र सहीराम जाति खाती निवासी सरदारपुराजीवन द्वारा अवरूद्ध कर रखा है जिससे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है।

अतः श्रीमान जी के निर्देशानुसार यदि चालू रास्ता बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बन्द किया गया है व किसी न्यायालय का स्थगन वगैरा न हो तो तत्काल उक्त रास्ते को चालू करवाया जावें आदेश दिया गया है। उक्त आदेश की प्रति सलंग्न है।

10. यह कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की नहीं है क्योंकि उक्त रास्ता से मूल आदेश उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सादुलशहर द्वारा दिनांक 14.09.2021 को जारी किया गया जिसकी अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त को सुनवाई का अधिकार है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट निरस्त की जाकर उक्त रास्ता चालू करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ,सादुलशहर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि चक 1 यू.एम.डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 में एक रास्ता जो विगत 40 वर्षो से चल रहा है, जो अपीलांट ने अवरूद्व कर दिया है इस कारण तत्काल इस रास्ता को चालू करवाया जावें, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने मूल प्रार्थनापत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सादुलशहर को भेज दिया जिस पर तहसीलदार सादुलशहर के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया व पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका पर दोनों पक्षकारों के द्वारा लड़ाई झगडा पर उतारू थे। तहसीलदार सादुलशहर के द्वारा दिनांक 25.01.2022 को रास्ता खुलवाने का आदेश

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने निम्न आधारों पर अपील पेश की जो कि स्वीकार होने योग्य है।

2. यह कि चक 1 यूएमडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 26 का 25 बीघा रकबा जो तीन खातों में विभाजित है, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर किस खाता के है व किसके नाम से जमाबन्दी है इस बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ, खाता संख्या 104/95 में मुरब्बा नम्बर 26 में 1.7070 हैक्टर रकबा नहरी, बारानी मय खाला दर्ज है जो चार काश्तकारों के नाम से है जिनमें सिर्फ मुझ अपीलांट को नोटिस दिया गया है अन्य किसी को तलब नहीं किया गया। किला नम्बर 23 सालम, में 11 बिस्वा रकबा इस खाता का है, खाता संख्या 33/33 में मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 में 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 25 सालम कुल 1.7980 हेक्टर रकबा में रेस्पोडेन्ट के अलावा 8 अन्य सहकाश्तकार है लेकिन रेश्सपोडेन्ट के अलावा अन्य सहकाश्तकारों के द्वारा ना तो रास्ता की मांग की गई और ना ही रास्ता की बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे यह साबित हो कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 24 में 0.114 हैक्टर रकबा जो खाता संख्या 33/33 का है वह किसका है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही विधि विपरीत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 06.09.2021 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 सालम व किला नम्बर 24 में 0.139 हैक्टर रकबा में मूंग की काश्त फसल का हवाला दिया है तथा पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 14.10.2021 को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें यह तथ्य दर्ज है कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 में काश्तकार चन्द्रभान के द्वारा जुताई की हुई है पूर्व में इस रकबा में मूंग की फसल काश्त की थी तथा खड़ी फसल में जाने के निशान थे जबकि दिनांक 06.09.2021 की रिपोर्ट में यह तथ्य कहीं भी दर्ज नहीं है कि फसल में रास्ता के निशान थे जिससे साफ जाहिर है कि रेस्पो. के द्वारा अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर यह रिपोर्ट पुनः भेजी गई है दोनो रिपोर्ट पत्रावली में सलंग्न है इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है।

4. यह कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 की खसरा गिरदावरी पेश की थी जो कि सलंग्न पत्रावली है जिसमें कहीं भी रास्ता का अंकन नहीं था अर्थात किला नम्बर 23 सालम व किला नम्बर 24 में 0.139 हैक्टर रकबा पर मूंग की फसल काश्त थी जिससे साफ जाहिर है कि इस किलाजात में रास्ता चालू नहीं था इस आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है।

5. यह कि रेस्पो. के द्वारा अपनी लिखित बहस में पैरा संख्या 3 में अंतिम लाईनों में यह कथन किया गया है कि सुखाचार बाधित नहीं हो, कानूनन व इंसाफन सुखाचार के अधिकार दिवानी न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय का सुखाचार के तहत आदेश प्रदान करने की अधिकारिता नहीं है इस कारण से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. यह कि रेस्पो. द्वारा यह कानूनी एतराज उठाया गया कि दिनांक 14.09.2021 को उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार को भेजने का आदेश था तथा तहसीलदार के द्वारा इस आदेश की पालना में रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है इस कारण तहसीलदार के आदेश के विरूद्व सम्भागीय आयुक्त को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील होनी चाहिए, श्रीमान अदालत को इस अपील सुनने का अधिकारिता नहीं है जो कि गलत तथ्य दर्ज किये गये है चूंकि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा तहसीलदार को मूल प्रार्थना पत्र को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था तथा इसकी पालना में तहसीलदार के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस देकर जवाब लेकर, पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर निर्णय दिया है जो निर्णय तहसीलदार का ही माना जावेगा जिसकी अपील का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को है।

7. यह कि चक 1 यूएमडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में विपता हुआ चक 2 यूएमडब्लयू की सीमा है जिसमें से होकर रेरपोडेन्टगण अपने रकबा में आते जाते है क्योकि चक 2यूएमडब्ल्यू में रेरपोडेन्ट का रकबा दर्ज है, अगर रेरपोडेन्टगण को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है तो व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता मंजूर करवा सकता है। सुखचार के तहत राजस्व न्यायालय में इस बाबत कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है।

8. यह कि माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा समस्त राजस्व न्यायालयों को कोविड--19 महामारी के कारण दिनांक 04.02.2022 तक राजीनामा के अलावा विवादित मामलों में किसी भी प्रकार से अंतिम निर्णय करने की कार्यवाही स्थगित की गई थी फिर भी राजस्व मण्डल के आदेशों की अवहेलना कर उक्त आदेश रास्ता खुलवाने का दिया था इस आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है।

9. यह कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व फसल गिरदावरी से पूरी तरह साबित है कि मुरब्बा नम्बर 26के किला नम्बर 23,24 में कोई रास्ता चल नहीं रहा है और उस जगह खड़ी फसल को नष्ट कर नया रास्ता मंजूर करने की तहसीलदार को अधिकारिता नहीं है। रेरपोडेन्टगण के द्वारा 40 वर्षो से रास्ता चल रहा है कि बाबत कोई राजस्व रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त किलों में कभी रास्ता चला था या मौका पर चल रहा है। महज अपने राजनैतिक प्रभाव के आधार पर वह नया रास्ता मात्र एक साधारण प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

10. यह कि अपीलांट एक सीमांतक छोटा काश्तकार है। रेरपोडेन्टगण जानबूझकर मुझ अपीलांट का रकबा पर रास्ता का दबाव बनाकर उस रकबा को हड़प करना चाहते है इस कारण उनके द्वारा पत्थर लाईन पर रास्ता नहीं मांग कर किला नम्बर 23,24 के ऊपर उत्तर दिशा की ओर से रास्ता मांग रहे है जिससे अपीलांट का खेत दो भागों में विभाजित हो जायेगा। कानूनन व इंसाफन अगर खातेदार के पास खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है तो वह पत्थर लाईन पर रास्ता मांग सकता है बीच में से नहीं। इन किलाविशेष में ना तो कभी भी पूर्व में रास्ता चला और नाही मौका पर रास्ता चल रहा है और ना ही रेरपोडेन्टगण को इन किलों में से रास्ता की आवश्यकता है। इस आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर का आदेश दिनांक 25.01.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/8

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि चक 1 यू.एम.डब्ल्यू. के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 23,24 में रास्ता गत 40 वर्षों से चालू है के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा को पारित करने से पूर्व उक्त विवादित रास्ता से सम्बन्धित चक 1 यू.एम.डब्ल्यू. के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नं. 23,24 से सम्बन्धित पक्षकारो को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया, क्योंकि उक्त विवादित रास्ता से सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांक 06.09.2021 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 सालम व किला नम्बर 24 में 0.139 हैक्टर रकबा में मूंग की काश्त फराल का हवाला दिया है तथा पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 14.10.2021 को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें यह तथ्य दर्ज है कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 में काश्तकार चन्द्रभान के द्वारा जुताई की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत् आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायलय टेन्नसी एक्ट 251 के प्रावधानानुसार सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर विधिवत् निर्णय पारित किया जाना सुनिश्तिव करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर